



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फ़ोन- 0135-2714074; फ़ैक्स- 0135-2651060; ई-मेल- nagarnigam.ddn@gmail.com)

बुद्धा चौक से घन्टाघर, घन्टाघर से किशन पुर मसूरी डाईवर्जन तक, बहल चौक से नैनी बेकरी चौक, तक तथा हरिद्वार बाईपास दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर ढाल तक कुल 304 डेकोरेटिव पोल क्योस्क

1. निविदा दाता का नाम :-
2. निविदादाता का पता :-
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :-
4. जमानत धनराशि :- ₹0 (शब्दों में)
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :-
6. बैंक का नाम :-
7. पोल क्योस्क स्थल :- बुद्धा चौक से घन्टाघर, घन्टाघर से किशन पुर मसूरी डाईवर्जन तक, बहल चौक से नैनी बेकरी चौक, तक तथा हरिद्वार बाईपास दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर ढाल तक कुल 304 डेकोरेटिव पोलों पर क्योस्क

(शब्दों में)
 निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का नाम :-
 निविदादाता का पूरा पता :-

निविदा की शर्तें एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 01-8-22 से दिनांक 31-7-24 तक दो वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. निविदा की वित्तीय निविदा दिनांक 19-7-22 की अपराह्न 2.00 बजे तक ई0निविदा के माध्यम से www.uktender.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।
3. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि ₹0-1,97,83,863/- निर्धारित है।
4. निविदा के साथ आरक्षित न्यूनतम निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात ₹0-19,78,386/- की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो निगम नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी को मूल में संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय तकनीकी दस्तावेज जैसे-पिछले तीन वर्ष की आई0टी0आर0, पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0, एवं जी0एस0टी0 नं0, कम्पनी/फर्म का टर्न ओवर तीन वर्ष का प्रतिवर्ष एवरेज 1.00 करोड़, विज्ञापन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव किसी भी विभाग/राज्य से हो सकता है जो कि न्यूनतम ₹0 1 करोड़ के कार्यों से कम का ना हो, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का ₹0-10 का शपथपत्र तथा निर्धारित धनराशि ₹0-19,78,386/- की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 तथा निविदा शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल ₹0-5900/- का डिमांड ड्राफ्ट को मूल रूप में दिनांक 18-7-22 की अपराह्न 4.00 बजे तक निगम कार्यालय में कराना अनिवार्य होगा तथा समस्त तकनीकी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को ई0टैन्डर वैबसाईट पर भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. यह कि उपलब्ध कराये गये समस्त तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 19-7-22 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा खोलने की सूचना सम्बन्धित फर्मों को दूरभाष अथवा ई0मेल के माध्यम से दे दी जायेगी।

daismu

7. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि छः माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।
8. यह कि नगर निगम द्वारा भविष्य में यदि नगर निगम से सम्बन्धित किसी भी योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान नगर निगम द्वारा स्वीकृत उच्चतम निविदा धनराशि के आधार पर उसी अनुपात में किया जायेगा।
9. यह कि स्वीकृत निविदादाता को पोल क्योस्क सिर्फ डेकोरेटिव पोलो पर ही लगाये जायेंगे।
10. यह कि निविदा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा/महामारी अवधि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति की आख्या के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
11. रोड के मध्य डिवार्डर पर लगाये जाने वाले पोल क्योस्क की उंचाई सड़क/जमीन से 10 फिट से अधिक होगी।
12. रोड डिवार्डर के मध्य डेकोरेटिव पोलों पर लगने वाले पोल क्योस्क का साईज 2.5 X 3.5 फिट से अधिक नहीं होगा।
13. रोड डिवार्डर के मध्य लगने वाले डेकोरेटिव पोलो पर डबल पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
14. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
15. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क नहीं लगाये जायेंगे।
16. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नहीं होगी।
17. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो प्रति यूनिपोल/होर्डिंग अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
18. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
19. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क के मेन्टीनेन्स रंगार्ड पुताई सम्बन्धी खर्च भी सम्बन्धित फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
20. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई पोल क्योस्क को हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टों के अन्दर हटाना होगा जिस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
22. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
23. निविदादाता द्वारा दिनांक 31-7-24 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारु रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
24. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
25. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
26. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
27. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

Chiranjeev

27. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
28. विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।
29. उपरोक्त विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं करनी होगी।
30. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
31. यह कि उक्त निविदा में वही निविदादाता/प्रतिभाग कर सकती है जो सभी अर्हता पूर्ण करता हो।
32. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं की धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब करते हुए फर्म के साथ-साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मालिक जो भी हो दोनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

Chaitanya